यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खण्ड-II राज्य कर, खटीमा** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खण्ड-II राज्य कर, खटीमा के माह 10/2015 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आशीष सिंह तडीयाल, ले.प. एवं श्री एस.एस दरियाल एवं श्री बृज भूषण मणि त्रिपाठी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 28.02.2019 से 07.03.2019 तक श्री पी.के. गुप्ता, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व एवं व्यय हेतु माह 10/2015 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** सितारगंज का क्षेत्र

(ii) (अ) **राजस्व विवरणः**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	532.49
2016-17	799.37
2017-18	170.13

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)**		**स्थपना**		**गैर स्थापना (` लाख में)**		**आधिक्य**	**बचत**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2015-16	-	-	-	-	-	-	-	-
2016-17	इकाई द्वारा आहरण एवं वितरण का कार्य नहीं किया जाता है।							
2017-18	-	-	-	-	-	-	-	-

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ..B.... श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- उप आयुक्त- सहायक आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खण्ड-II राज्य कर, खटीमा** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खण्ड-II राज्य कर, खटीमा** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन : लागू नहीं।

राजस्व: - -------- को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

व्यय: - -------- को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट,

1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 (क)

प्रस्तर 01- अनाधिकृत ITC का लाभ दिए जाने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ₹10.41 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के प्रावधानों के अनुसार इनपुट टैक्स का लाभ उत्तराखण्ड राज्य के किसी पंजीकृत ब्यौहारी जो धारा 15 या धारा 16 के अधीन विधिमान्य पंजीयन प्रमाण पत्र रखता है, से क्रय किया गया हो।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 58(xi) इनपुट टैक्स के लाभ के रूप में किसी धनराशि का गलत दावा करता है या किसी मिथ्या बिक्री बीजक के आधार पर इनपुट टैक्स के लाभ का दावा करता है, तो पांच हजार रूपये या दावाकृत धनराशि की तीन गुना धनराशि जो भी अधिक हो।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड-02, राज्य कर, खटीमा की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि-

1. व्यापारी सर्वश्री लक्ष्मी इंटरप्राइजेज सितारगंज टिन न. 05010932410 के द्वारा दिनांक- 17.04.2013 से 09.06.2013 प्रथम त्रैमास जो खरीद से सम्बन्धित सूची के अनुसार ₹154939 इनपुट टैक्स का लाभ लिया गया है उस में से व्यापारी द्वारा ₹139526/- इनपुट टैक्स का लाभ अपने ही टिन नम्बर से लिया गया है जो अनुमन्य नहीं था।
   अतः नियमानुसार व्यापारी पर 139526/-x3 = ₹418578/- का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए था।
2. व्यापारी सर्वश्री गोयल मेडिकोड किच्छा रोड, सितारगंज टिन न. 05005971636 के द्वारा दिनांक 01.04.2013 से 31.03.2014 तक जो खरीद संबधित सूची के अनुसार व्यापारी द्वारा ₹ 38086/- कर की दर 5% एवं ₹4194/- कर की दर 13.5% का इनपुट टैक्स का लाभ लिया गया है वह अपने ही टिन न. से लिया गया है जो अनुमन्य नहीं था।
   अतः नियमानुसार व्यापारी पर ₹38086x3 = 114258+4194x3 =12582/- कुल ₹1,26,840/- का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए था।

3. व्यापारी सर्वश्री गुप्ता वीडियोज सितारगंज के द्वारा दिनाक 05.07.2013 से 28.09.2013 खरीद पर व्यापारी सर्वश्री शिव सर्विस पॉइंट TIN - 05006612321 से ₹17916 जो इनपुट टैक्स का लाभ लिया गया है जो अनुमन्य नहीं था, क्योकि व्यापारी का पंजीयन कार्यालय द्वारा दिनांक 15.02.2011 को निरस्त कर दिया गया था।

   अतः नियमानुसार व्यापारी पर 17916x3= ₹53748/- का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए था।

4. व्यापारी सर्वश्री गुरू नानक ट्रेडर्स, सितारगंज द्वारा वर्ष 2013-14 में प्रान्तीय व्यापारियों से की गई क्रय पर ₹11,57,122.02 का आई.टी.सी का लाभ दिया गया था। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि प्रश्नगत व्यापारी के द्वारा प्रस्तुत क्रय सूची में उल्लिखित व्यापारी द्वारा अपने ही टिन संख्या दिखाकर PRISM CEMENT LTD. RUDRAPUR के नाम से एवं टिन सख्या 05004122408 जो कि विक्रेता व्यापारी का नाम SHREE CEMENT LTD हरिद्वार दिखाया गया है, जो कि टिन संख्या गलत है। क्रय की गयी सामाग्री 13.5% कर की परिधि में आता है, की क्रमशः ₹ 294132.16 एवं ₹ 504988 की क्रय आई टी सी का दावा किया था और विभाग द्वारा दावाकृत धनराशि का लाभ भी व्यापारी को दिया गया था जो कि देय नहीं था। उल्लिखित पर नियमानुसार कुल ₹799120/- (2,94,132.16+5,04,988) ₹ 3,23,644 (7,99,120X13.5%X3) आरोपित कर वसूलनीय था, जिसे आरोपित कर वसूला नहीं गया।

5. व्यापारी सर्वश्री गोयल मेडिकोज, सितारगंज द्वारा वर्ष 2014-15 में प्रांतीय व्यापारियों से की गई क्रय पर 1088987.32 का आई टी सी का लाभ दिया गया था। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि प्रश्नगत व्यापारी के द्वारा प्रस्तुत क्रय सूची में उल्लिखित व्यापारी द्वारा अपने ही टिन संख्या दिखाकर जूब्ली मेडिकल स्टोर किच्छा के नाम से क्रय की गई सामग्री ₹7,07,077 एवं ₹30016 की क्रय कर आई टी सी का दावा किया था और विभाग के द्वारा दावाकृत धनराशि का लाभ भी व्यापारी को दिया गया था जो कि देय नहीं था। उल्लिखित पर नियमानुसार ₹106062 (707077X5%X3) एवं ₹12156 (₹30016x13.5%x3) कुल ₹ 118218 (₹106062+₹12156) आरोपित कर वसूलनीय था, जिसे वसूला नहीं गया।

   अतः उपरोक्त व्यापारियों पर नियमानुसार (418578/-+ 126840+53748+323644+118218) कुल ₹10,41,028/- का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए था।

   उपरोक्त के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में बताया की जाँचोपरान्त कार्यवाही की जाएगी।

   अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग2 (ब)

प्रस्तर-1 अर्थदंड का अनारोपण ₹ 0.95 लाख|

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 58 (1)(Vii) के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर युक्ति युक्त कारण के बिना अनुमन्य समय के भीतर जमान हीं किया जाता है तो देय कर का कम से कम 10 प्रतिशत अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 58 (1)(Vii) के दिनांक 31-03-2015 के अधिसूचना 102/XXXVI/2015/22(1)2015 के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देयकर युक्तियुक्त कारण के बिना अनुमन्य समय के भीतर जमान हीं किया जाता है तो देयकर का कम से कम 05 प्रतिशत (यदि विलम्ब 1 माह है) एवं 20 प्रतिशत (यदि विलम्ब एक माह से ज्यादा एवं कर की धनराशी 20 हज़ार से ज्यादा है) अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) द्वितीय राज्य कर कर, खटीमा के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि संलग्न सूची के अनुसार व्यापारियों द्वारा अपना स्वीकृत कर **₹10,60,814**/- बिना किसी युक्ति-युक्त कारण के विलम्ब से जमा किया गया था। जिस पर नियमानुसार कम से कम 5 एवं 10 प्रतिशत की दर से **₹ 95,042**/- का अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

उक्त के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा कहा कि जांचोपरांत कार्यवाही की जाएगी |

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान लाया जाता है |

विलम्ब से जमा कर का विवरण

क्रम सं.	व्यापारी का नाम	धनराशि(₹)	निर्धारित तिथि	जमा करने की तिथि	विलम्ब शुल्क अर्थदण्ड (₹)
1.	सर्वश्री किसान ट्रेक्टर सितारगंज टिन न०-05008771638 वर्ष2014-15	145500(चतुर्थ तिमाही)	20-04-15	15-05-15 **योग**	14550 **14550**
2.	सर्व श्री विजय लक्ष्मी स्टोर सितारगंज टिन न० –05002755698 वर्ष-2015-16	2035(प्रथम तिमाही) 13000(प्रथम तिमाही) 37530(चतुर्थ तिमाही) 50000(चतुर्थ तिमाही) 118230(तृतीय तिमाही)	20-07-15 20-07-15 20-04-16 20-04-16 20-01-16	25-07-15 23-07-15 30-05-16 30-04-16 25-01-16 **योग**	102 650 1876 2500 5912 **11,040**
3.	सर्व श्री भारत स्टेशनरी टिन न०-05010139435 वर्ष-2013-14	15540(मई) 37173(अप्रैल) 14127(जून) 30115(नवम्बर)	25-06-13 25-05-13 25-07-13 25-12-13	27-06-13 31-05-13 6-08-13 30-12-13	1554 3717 1413 3012
4.	सर्व श्री राकेश कुमार अमित कुमार , सितारगंज टिन न०- 05002717965 वर्ष- 2013-14	29658(मई) 33370(जुलाई) 22924(अक्टूबर) 34216(नवम्बर) 24133(जनवरी)	25-06-13 25-08-13 25-11-13 25-12-13 25-02-14	26-06-13 26-08-13 05-12-13 26-12-13 26-02-14 **योग**	2966 3337 2292 3422 2413 **14,430**
5.	सर्व श्री साईं बाथ कलेक्शन सितारगंज टिन न०- 05011324775 वर्ष-2013-14	5000(सितम्बर)	25-10-13	13-11-13 **योग**	500 **500**
6	सर्व श्री साईं बाथ कलेक्शन सितारगंज टिन न०- 05011324775 वर्ष-2014-15	73750(जून) 144533(सितम्बर) 130000(दिसम्बर) 99980(मार्च)	20-06-14 20-10-14 20-01-15 20-04-15	10-09-14 19-12-14 11-02-14 08-06-15 **योग**	7375 14453 13000 9998 **44826**
	योग	**10,60,814**			**₹ 95042**

भाग -2 (ख)

प्रस्तर -2 समाधान राशि का कम निर्धारण किये जाने से राजस्व क्षति ₹0.29 लाख।

उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 330 दिनांक 17 अप्रैल 2012 के द्वारा दिनांक 01-04-2012 से 31-03-2015 तक के लिए निर्गत समाधान योजना के अंतर्गत सिविल निर्माण कार्य हेतु 4% की दर से कर देयता निर्धारित की गयी थी।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड -2 राज्य कर खटीमा के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि सर्वश्री प्रेम कुमार एसोसिएट्स टिन -05004384328 सिविल निर्माण कार्य हेतु पंजीकृत है। व्यापारी द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2013-14 में समाधान योजना का विकल्प लिया गया था। व्यापारी द्वारा कोई आयात नहीं किया गया था। व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में ₹19996068/- का भुगतान प्राप्त करके 2% की दर से ₹ 399921/- कर अदा किया गया था।

पत्रावली की जांच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा किए गए निर्माण कार्यों से प्राप्त भुगतान में एक कर कटौती के प्रमाण पत्र के अनुसार एक कार्य 3EE/2012-13 से प्राप्त भुगतान ₹1458944/- पर 2% की दर से ₹ 29179/-TDS काटकर जमा किया गया था। जबकि वर्ष 2012-13 में 4% की दर से करदेयता निर्धारित करते हुए समाधान योजना हेतु शासनादेश किया गया था।

इस प्रकार व्यापारी द्वारा उक्त कार्य हेतु 2% की दर से ₹ 29179/-जमा किया जाना अपेक्षित था।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया गया है।

अत: उक्त राजस्व क्षति ₹ 0.29 लाख एवं ब्याज का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ख)

प्रस्तर -3 आई 0टी0 सी0 का अधिक लाभ दिये जाने के कारण राजस्व क्षति ₹ 0.26 लाख

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित का अधिनियम 2005 की धारा -6 की उपधारा 2 के अनुसार इनपुट टैक्स का लाभ के लिए वह पंजीकृत व्यौहारी हकदार होगा जिसके द्वारा किए गए क्रय के क्रय धन पर पंजीकृत ब्यौहारी द्वारा विक्रेता ब्यौहारी को भुगतान किया गया हो।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड -2 राज्य कर खटीमा के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि सर्व श्री रोहित खाद भण्डार टिन - 05008325923 फर्टिलाइजर की खरीद-बिक्री के लिए पंजीकृत है। व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में ₹ 135410/- का आई टी सी का लाभ लेते हुये ₹ 152041/- की करदेयता निर्धारित की गयी थी। विभाग द्वारा ₹25632/- का आई टी सी केरीफ़ोर्वर्ड किया गया था।

पत्रावली की जांच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा ₹ 2195923/-की 5% की दर की वस्तु फर्टिलाइजर एवं पेसटीसाइड खरीदा गया था, जिस पर 5% की दर से ₹ 109796/- आई टी सी देय था। इस प्रकार ₹ 25614/-(135410 - 109796) का अधिक लाभ दिया गया था।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया गया है।

अत: उक्त राजस्व क्षति ₹ 0.26 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ख)

प्रस्तर -4 कर के अनारोपण के कारण राजस्व क्षति ₹ 0.40 लाख

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 की उपधारा 1 के अनुसार किसी व्योहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किए गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत कर आरोपित किया जाएगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड -2 राज्य कर खटीमा अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि सर्वश्री बलवीर इंडस्ट्रीज, नानकमत्ता टिन - 05002637455 कृषि यन्त्र व ग्रिल का निर्माण एवं बिक्री हेतु पंजीकृत है। व्यापारी द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2014-15 में 1 आयात फार्म का प्रयोग करके ₹ 1270652/- का आयात किया गया था। व्यापारी द्वारा 5% की वस्तुओं की खरीद बिक्री के आंकड़ों के अनुसार बिक्री कम प्रदर्शित की गयी थी। जो इस प्रकार है:

वर्ष	2014-15
प्रारम्भिक शेष	2025450
प्रांतीय खरीद	4121898
आयातित खरीद	1270652
बिक्री	3491086
अंतिम शेष	3276860
बिक्री में अंतर	650054

इस प्रकार ₹ 650054/-(लाभ रहित) की बिक्री कम प्रदर्शित करने के कारण प्रांतीय बिक्री मानकर न्यूनतम 5% की दर से ₹ 32,503(650054X5%) कर आरोपणीय था, जो विभाग की उदासीनता के कारण आरोपित नहीं किया जा सका।

यह भी उल्लेखनीय है कि व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में ₹ 57000/- का टायर खरीदा गया था जिस पर 13.5% की दर से आईटीसी ₹ 7695/- का लाभ लिया गया था। इसकी बिक्री नहीं दिखाई गयी और न ही अन्तिम रहतिया में दर्शाया गया था। इसलिए टायर की बिक्री लाभ रहित मानते हुये ₹ 7695/- कर आरोपणीय था।

इस प्रकार व्यापारी द्वारा ₹ 40198/- (32,503+7695) जमा किया जाना अपेक्षित था। इस धनराशि पर जमा करने की तिथि तक 15% वार्षिक की दर से ब्याज भी देय है।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया गया है।

अत: उक्त राजस्व क्षति ₹ 0.40 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या	सम्पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
	प्रथम लेखापरीक्षा		

NOTE:- प्रस्तावित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित उच्चाधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराये जिससे पूर्ण निस्तारण किया जा सकें।

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खण्ड-II राज्य कर, खटीमा** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री आशीष कुमार ठाकुर	सहायक आयुक्त

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.), खण्ड-II राज्य कर, खटीमा** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र